न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2017/473

मोटाजी आत्मज गंगाराम आयु 55 वर्ष जाति बंजारा निवासी ग्राम जगपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

—अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा ।
2. नगर विकास न्यास, कोटा ।

—रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :— 1. श्री राजेन्द्र कुमार, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री शम्भूदयाल विजय, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट क्रम 02 की ओर से ।

निर्णय **दिनांक: 11.11.2022**

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पदेन अधिकारी कलक्टर कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.05.2017 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 92ए एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम उम्मेदपुरा तहसील लाडपुरा में खसरा नम्बर 04 रकबा 89 हैक्टर में से 0.24 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि पर वादी काफी समय से पत्थर कोट करके काश्त करता चला आ रहा है । वादी ने उक्त भूमि पर बिजली लगा रखी है और उक्त भूमि को कृषि कार्य हेतु उपयोग व उपभोग करता चला आ रहा है । वादी ने उक्त भूमि को अपने पक्ष में आवंटन करने हेतु उपखण्ड अधिकारी कोटा के समक्ष प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किये थे । उक्त भूमि वादी को आवंटित नहीं की गई । सन् 2014 में उक्त भूमि नगर विकास न्यास के खाते में दर्ज हो चुकी है । वादी उक्त भूमि पर काफी समय से काबिज काश्त है इसलिए वह खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है ।

3. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी का वादी को खातेदार घोषित किया जावे तथा कब्जे काश्त के आधार पर उक्त भूमि वादी को आवंटन करने का आदेश पारित किया जावे तथा नगर विकास न्यास को पाबन्द किया जावे कि उक्त भूमि को बिना विधिक प्रकिया अपनाये वादी को उक्त भूमि से बेदखल नहीं करें ।

4. परीक्षण न्यायालय ने उक्त वाद को राजस्व लोक अदालत में ग्राम पंचायत आलनिया के अटल सेवा केन्द्र में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 17.05.2017 के द्वारा वाद वादी खारिज कर दिया ।

5. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.05.2017 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने बिना रेस्पोडेन्ट का जवाब प्रस्तुत किये हुए व बिना पक्षकारान को सुने उक्त वाद में निर्णय एवं डिक्री पारित की है । परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्ट को कैम्प आलनिया की कोई विधिवत व कानूनन जानकारी नहीं दी गई । परीक्षण न्यायालय ने एकपक्षीय डिक्री पारित की है ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने उक्त वाद को आलनिया में लोक अदालत न्याय आपके द्वारा में अपीलाधीन निर्णय पारित किया था । उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 28.06.2017 को हुई । जानकारी प्राप्त होते ही नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया और दिनिांक 13.09.2017 को नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि ग्राम उम्मेदपुरा तहसील लाडपुरा में खसरा नम्बर 04 रकबा 89 हैक्टर में से 0.24 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि पर अपीलान्ट काफी समय से पत्थर कोट करके काश्त करता चला आ रहा है । अपीलान्ट ने उक्त भूमि पर बिजली लगा रखी है और उक्त भूमि को कृषि कार्य हेतु उपयोग व उपभोग करता चला आ रहा है । वादी ने उक्त भूमि को अपने पक्ष में आवंटन करने हेतु उपखण्ड अधिकारी कोटा के समक्ष प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किये थे । उक्त भूमि वादी को आवंटित नहीं की गई । सन् 2014 में उक्त भूमि नगर विकास न्यास के खाते में दर्ज हो चुकी है । परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्ट को सूचित किये बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा अभियान के तहत कैम्प आलनिया में रखते हुए वाद वादी खारिज कर दिया । अपीलान्ट ने उक्त भूमि पर बोरिंग लगा रखा है तथा आंवले व अमरूद के पेड लगा रखे हैं । परीक्षण न्यायालय ने नगर विकास न्यास से जवाब प्राप्त किये बिना ही तथा तनकी कायम किये बिना ही निर्णय पारित किया है । परीक्षण

न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.05.2017 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरटी 2018–19 (सप्ली0) पेज 394, आरआरटी 2016–17 (सप्ली0) पेज 566 उद्धरत की ।

9. विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट कम 02 ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी नगर विकास न्यास कोटा के खातेदारी में दर्ज है । अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी पर कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी प्राप्त करना चाहता है । वादग्रस्त आराजी से अपीलान्ट का कोई सम्बन्ध नहीं है । कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.05.2017 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. वादी अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया जिसे परीक्षण न्यायालय ने दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया तथा आगामी तारीख पेशी दिनांक 12.05.2017 नियत की गई । दिनांक 12.05.2017 को आगामी तारीख पेशी दिनांक 23.06.2017 नियत की गई । परन्तु उससे पूर्व ही इसे दिनांक 15.05.2017 को रखते हुए राजस्व लोक अदालत में रखने का आदेश पारित करते हुए आगामी तारीख पेशी दिनांक 17.05.2017 नियत कर दी और दिनांक 17.05.2017 के द्वारा वाद वादी वादी की अनुपस्थिति में खारिज कर दिया । लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करे । परीक्षण न्यायालय की आदेशिका से यह भी स्पष्ट है कि अपीलान्ट को उक्त राजस्व लोक अदालत की जानकारी तक नहीं थी, कोई जवाब या अन्य दस्तावेज भी प्रतिवादीगण की तरफ से पेश नहीं किया गया । अतः तकनीकी आधार पर उक्त निर्णय राजस्व लोक अदालत में बिना सुनवाई किये नहीं किया जा सकता । यह हो सकता है कि वादी का वाद गुणावगुण पर ठोस आधारों पर नहीं हो परन्तु वादी की अनुपस्थिति में राजस्व लोक–अदालत में गुणावगुण के आधार पर बिना वादी को सुने निर्णय पारित किया जाना उचित नहीं है । प्राकृतिक न्याय के आधार पर सुनवाई का अधिकार वादी को अवश्य दिया जाना चाहिए । इस दृष्टि से परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.05.2017 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वादी अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नवीन सिरे से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 19.12.2022 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

13. निर्णय आज दिनांक 11.11.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा